

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 16-09-2025

विषय सूची

- » भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी
- » सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 बरकरार
- » सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के अंतर्गत लाने की याचिका खारिज
- » CII द्वारा राष्ट्रीय वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति के लिए रूपरेखा का सुझाव
- » भारत द्वारा पॉलीमेटेलिक सल्फाइड (PMS) के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर
- » बढ़ते निर्यात से भारत का व्यापार घाटा में कमी
- » रक्षा खरीद नियमावली 2025

संक्षिप्त समाचार

- » भारत-ईरान-उज्बेकिस्तान प्रथम त्रिपक्षीय बैठक
- » 'आधार कानून का भाग है, मतदाता इसका प्रयोग कर सकते हैं': सर्वोच्च न्यायालय
- » राष्ट्रीय मखाना बोर्ड
- » भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)
- » पॉलीप्रोपाइलीन
- » उन्नत निष्क्रिय कीट तकनीक (उन्नत-SIT)
- » भारतीय नौसेना का 'एंड्रोथ'
- » सर एम विश्वेश्वरैया

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

संदर्भ

- हाल ही में, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समितियों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अंतर का प्रकटीकरण किया।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: वर्तमान परिदृश्य

- संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार, एकल या निम्न सदनों में केवल 27.2% सांसद महिलाएं हैं, जो 1995 में 11% थीं।
- भारत में, लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 14.7% है, जो वैश्विक औसत 26.5% से बहुत कम है। मंत्री पदों में प्रतिनिधित्व भी कम है, लगभग 10-11%।
- राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व व्यापक रूप से भिन्न होता है, और प्रायः 10% से कम रहता है।
 - छत्तीसगढ़ में 19 महिला विधायक हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में केवल एक और मिजोरम में कोई नहीं।
- भारत का स्थान 193 देशों में 148वां है, 47 एशियाई देशों में 31वां और आठ SAARC देशों में पांचवां।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अब भी कम क्यों है?

- पार्टियों और राजनीतिक बाधाएं:** 2024 के चुनावों में केवल 797 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिनमें से सिर्फ 74 विजयी हुईं— 2019 में चुनी गई 78 महिलाओं से भी कम। इसके मूल कारण हैं:
 - कम टिकट आवंटन:** पार्टियां महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करती हैं लेकिन पर्याप्त महिला उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं प्रदान करती हैं।
 - पितृसत्तात्मक पार्टी संरचना:** महिलाओं को रूढ़िवादी धारणाओं, नेतृत्व भूमिकाओं से बहिष्कार और आंतरिक लोकतंत्र की कमी का सामना करना पड़ता है।

- कमजोर महिला शाखाएं:** ये सभी दलों में उपस्थित हैं, लेकिन टिकट वितरण या नीति निर्धारण को संभवतः ही कभी प्रभावित करते हैं।

- सामाजिक मान्यताएं और लैंगिक रूढ़ियाँ:** गहराई से जड़ें जमाए हुए सांस्कृतिक विश्वास प्रायः महिलाओं को राजनीतिक करियर अपनाने से हतोत्साहित करते हैं।

- राजनीति को अब भी पुरुष-प्रधान क्षेत्र माना जाता है, और महिलाओं से घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने की अपेक्षा की जाती है।

- सुरक्षा और गतिशीलता संबंधी चिंताएं:** विशेष रूप से ग्रामीण और संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में चुनाव अभियानों के दौरान महिलाओं को अधिक सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

- इससे उनकी सार्वजनिक भागीदारी, गतिशीलता और मतदाता आधार बनाने की क्षमता सीमित होती है।

- कम महिला श्रम बल भागीदारी:** भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी ऐतिहासिक रूप से कम रही है, जो नागरिक और राजनीतिक भागीदारी की सीमितता से जुड़ी होती है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के बीच।

संबंधित सरकारी पहलें और नीतिगत प्रयास

- नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023):** यह संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। हालांकि, यह सुधार 2029 के चुनावों से पहले लागू नहीं होगा।
- 73वां और 74वां संविधान संशोधन:** ये पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करते हैं।
 - इससे 1.4 मिलियन से अधिक महिला प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है, जिससे भारत बुनियादी स्तर पर लैंगिक समावेशन में वैश्विक अग्रणी बन गया है।
 - 20 राज्यों ने पहले ही स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया है।

- **नारी शक्ति-आधारित विकास:** एक नीति ढांचा जो शिक्षा, उद्यमिता और नेतृत्व के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को एकीकृत करता है।
- **राष्ट्रीय महिला नीति (2016):** यह नेतृत्व विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण पर बल देती है।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जैसे संस्थानों के माध्यम से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए।
- **डिजिटल साक्षरता और वित्तीय समावेशन योजनाएं:** जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA), प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), स्टैंड-अप इंडिया, और NRLM स्वयं सहायता समूह — जो अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की नागरिक भागीदारी को समर्थन देते हैं।

आगे की राह

- **पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करें:** राजनीतिक दलों के अंदर पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा दें ताकि महिलाओं को नेतृत्व भूमिकाओं एवं टिकट आवंटन में उचित अवसर मिल सके।
- **नागरिक शिक्षा का विस्तार करें:** सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए नागरिक शिक्षा और संस्थागत सुधारों को बढ़ावा दें जो महिलाओं की राजनीति में प्रवेश को रोकते हैं।
- **संस्थागत सुधार:** राजनीतिक दलों और चुनाव आयोगों के अंदर लैंगिक ऑडिट को संस्थागत रूप दें ताकि उनके कार्यों में लैंगिक समानता की निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

Source: TH

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 बरकरार

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को बरकरार रखा है, जबकि कुछ प्रावधानों को रद्द करते हुए राज्य विनियमन और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया है।

‘वक्फ’ का अर्थ

- इस्लामी कानून के अंतर्गत केवल धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों को संदर्भित करता है।
- संपत्ति की बिक्री या अन्य उपयोग निषिद्ध होता है।
- संपत्ति का स्वामित्व वक्फ बनाने वाले व्यक्ति (जिसे वाकिफ कहा जाता है) से अल्लाह को स्थानांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाती है।
- वक्फ बनाने वाला व्यक्ति वाकिफ कहलाता है, और संपत्ति का प्रबंधन मुतवल्ली द्वारा किया जाता है।

‘वक्फ’ की अवधारणा की उत्पत्ति

- इसका इतिहास दिल्ली सल्तनत से जुड़ा है, जब सुल्तान मुइजुद्दीन सम गोरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को गांव समर्पित किए थे।
- भारत में इस्लामी राजवंशों के उदय के साथ वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ी।
- मुसलमान वक्फ वैधता अधिनियम, 1913 ने भारत में वक्फ संस्था को कानूनी संरक्षण प्रदान किया।

संवैधानिक ढांचा और शासन

- धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाएं संविधान की समवर्ती सूची में आती हैं, जिससे संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों इस पर कानून बना सकती हैं।

वक्फ की स्थापना

- वक्फ निम्नलिखित तरीकों से स्थापित किया जा सकता है:
 - ▲ घोषणा (मौखिक या लिखित दस्तावेज़)।
 - ▲ धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए भूमि का दीर्घकालिक उपयोग।
 - ▲ उत्तराधिकार की समाप्ति पर संपत्ति का समर्पण।
- **वक्फ संपत्तियों का उच्चतम हिस्सा रखने वाले राज्य**
 - ▲ उत्तर प्रदेश (27%)
 - ▲ पश्चिम बंगाल (9%)
 - ▲ पंजाब (9%)

• वक्फ कानूनों का विकास

- ▲ 1913 अधिनियम: वक्फ दस्तावेजों को वैधता प्रदान की।
- ▲ 1923 अधिनियम: वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य किया।
- ▲ 1954: बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना की गई।
- ▲ 1995 अधिनियम: विवाद समाधान के लिए न्यायाधिकरणों की शुरुआत की गई और वक्फ बोर्डों में निर्वाचित सदस्य व इस्लामी विद्वानों को शामिल किया गया।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की प्रमुख संशोधन

• केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना

- ▲ वक्फ मामलों के प्रभारी केंद्रीय मंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे।
- ▲ परिषद के सदस्य होंगे:
 - संसद सदस्य (MPs)
 - राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति
 - सर्वोच्च न्यायालय/हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
 - मुस्लिम कानून के प्रतिष्ठित विद्वान
- ▲ MPs, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए मुस्लिम होने की अनिवार्यता समाप्त की गई।
- ▲ परिषद में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता तय की गई।

• वक्फ बोर्डों की संरचना

- ▲ राज्य सरकारों को प्रत्येक समूह से एक व्यक्ति नामित करने का अधिकार दिया गया।
- ▲ दो गैर-मुस्लिम सदस्य अनिवार्य।
- ▲ शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों से कम से कम एक-एक सदस्य होना आवश्यक।
- ▲ दो मुस्लिम महिला सदस्यों की अनिवार्यता।

• न्यायाधिकरणों की संरचना

- ▲ मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटाया गया।

- ▲ जिला न्यायालय के न्यायाधीश (अध्यक्ष)।

- ▲ संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी।

• न्यायाधिकरण आदेशों के विरुद्ध अपील

- ▲ अधिनियम: न्यायाधिकरणों के निर्णय अंतिम होंगे, न्यायालयों में अपील की अनुमति नहीं।
- ▲ संशोधन: न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध हाई कोर्ट में 90 दिनों के अंदर अपील की अनुमति।

• संपत्तियों का सर्वेक्षण

- ▲ अधिनियम के अंतर्गत सर्वे आयुक्त को हटाकर जिला कलेक्टर या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई।

• सरकारी संपत्ति का वक्फ

- ▲ अधिनियम में कहा गया है कि यदि कोई सरकारी संपत्ति वक्फ के रूप में चिन्हित की जाती है, तो वह वक्फ नहीं मानी जाएगी।
- ▲ क्षेत्रीय कलेक्टर स्वामित्व का निर्धारण करेंगे, और यदि वह सरकारी संपत्ति पाई जाती है, तो राजस्व अभिलेखों को अद्यतन किया जाएगा।

• लेखा परीक्षण

- ▲ ₹1 लाख से अधिक आय अर्जित करने वाले वक्फ संस्थानों का लेखा परीक्षण राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

• केंद्रीकृत पोर्टल

- ▲ वक्फ संपत्ति प्रबंधन को स्वचालित करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे कार्यक्षमता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

• संपत्ति समर्पण

- ▲ कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे मुस्लिम व्यक्ति वक्फ के लिए संपत्ति समर्पित कर सकते हैं, जिससे पूर्व-2013 नियमों की पुनर्स्थापना होती है।

• महिलाओं की विरासत

- ▲ वक्फ घोषणा से पहले महिलाओं को उनकी विरासत प्राप्त करनी होगी, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम में किए गए प्रमुख परिवर्तन

• इस्लाम का पालन

- ▲ न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप धारा 3(r) से संबंधित है, जिसमें वक्फ बनाने वाले को कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे होने का प्रमाण देना आवश्यक था।
- ▲ न्यायालय ने इस प्रावधान को स्थगित कर दिया है, जब तक कि सरकार धार्मिक अभ्यास निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती।

• वक्फ संपत्तियों पर कलेक्टर का अधिकार

- ▲ धारा 3C जिला कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार देती है कि वक्फ के रूप में दावा की गई संपत्ति वास्तव में सरकारी है या नहीं।
- ▲ **कोर्ट का निर्णय:** उस प्रावधान को स्थगित किया गया जो जांच पूरी होने से पहले वक्फ दर्जा हटाने की अनुमति देता था, इसे “प्रथम दृष्टया मनमाना” कहा गया।
- ▲ निर्देश दिया गया कि वक्फ संपत्तियों को तब तक खाली या परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक वक्फ न्यायाधिकरण और उसके बाद की अपीलों द्वारा अंतिम निर्णय न हो जाए।

• वक्फ प्रशासन में प्रतिनिधित्व

- ▲ संशोधित अधिनियम ने केंद्रीय वक्फ परिषद (22 सदस्य) में 12 और राज्य बोर्डों (11 सदस्य) में 7 गैर-मुस्लिम सदस्यों की अनुमति दी थी।
- ▲ **न्यायालय का निर्णय:** इसे घटाकर केंद्रीय परिषद में 4 और राज्य बोर्डों में 3 कर दिया गया।
- ▲ वक्फ बोर्डों के CEO “जहाँ तक संभव हो” मुस्लिम होने चाहिए (अनिवार्य नहीं)।
- ▲ यह संतुलन पारदर्शिता और समावेशिता बनाम धार्मिक मामलों में अल्पसंख्यक स्वायत्तता के बीच साधा गया।

• “उपयोग द्वारा वक्फ” की समाप्ति

- ▲ पूर्ववर्ती कानून में बिना औपचारिक दस्तावेज के लंबे समय से धार्मिक उपयोग के आधार पर संपत्ति को वक्फ घोषित करने की अनुमति थी।

- ▲ **न्यायालय का निर्णय:** इस प्रावधान को हटाना बरकरार रखा गया, और स्पष्ट किया गया कि यह परिवर्तन केवल भविष्य के लिए लागू होगा — 8 अप्रैल 2025 से पहले पंजीकृत वर्तमान “उपयोग द्वारा वक्फ” संपत्तियाँ संरक्षित रहेंगी।

• संरक्षित स्मारक

- ▲ न्यायालय ने उन प्रावधानों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया जो संरक्षित स्मारकों या अनुसूचित जनजातियों की संपत्तियों को वक्फ दर्जा से बाहर करते हैं।

निष्कर्ष

- संसद द्वारा बनाया गया कानून तब तक संवैधानिक माना जाता है जब तक कि कोई न्यायालय उसे रद्द न कर दे।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम को स्थगित करने से मना किया, लेकिन कुछ प्रावधानों को “सभी पक्षों के हितों की रक्षा और लंबित मामलों के दौरान संतुलन बनाए रखने” के लिए स्थगित किया।

Source: TH

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के अंतर्गत लाने की याचिका खारिज

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण देने वाले POSH अधिनियम के दायरे को राजनीतिक दलों तक विस्तारित करने की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसे संगठन कानून के अंतर्गत कार्यस्थल के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते।

पृष्ठभूमि

- संवैधानिक अधिकार अनुसंधान और वकालत केंद्र बनाम राज्य केरल एवं अन्य (2022) मामले में केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राजनीतिक दलों में पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता और उन्हें आंतरिक शिकायत समिति (ICC) स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

- यह अस्पष्टता, राजनीतिक दलों की विकेंद्रीकृत और अनौपचारिक संरचना के साथ मिलकर, प्रायः अनुपालन न करने का कारण बताई जाती है।

POSH अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **यौन उत्पीड़न की स्पष्ट परिभाषा:** अधिनियम में यौन उत्पीड़न को ऐसे अवांछित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है जैसे शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन कृपा की मांग, यौन रंग की टिप्पणियाँ, अश्लील सामग्री दिखाना, तथा किसी भी प्रकार का अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक यौन व्यवहार।
- **लागू क्षेत्र:** यह अधिनियम सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है — संगठित और असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन।
- **कर्मचारी की परिभाषा:** सभी महिला कर्मचारी, चाहे वे नियमित, अस्थायी, अनुबंध पर, दैनिक वेतन पर, प्रशिक्षु या इंटरन हों, या मुख्य नियोक्ता की जानकारी के बिना कार्यरत हों — वे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत कर सकती हैं।
- **आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन:** प्रत्येक कार्यालय या शाखा में जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी हैं, वहाँ ICC का गठन अनिवार्य है।
 - ▲ यह समिति एक महिला की अध्यक्षता में होगी, जिसमें कम से कम दो महिला कर्मचारी, एक अन्य कर्मचारी और एक NGO कार्यकर्ता (जिसके पास पाँच वर्षों का अनुभव हो) शामिल होंगे।
- **स्थानीय समिति (LC):** अधिनियम प्रत्येक जिले में एक स्थानीय समिति के गठन का प्रावधान करता है, जो उन संस्थानों की महिला कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त करेगी जहाँ 10 से कम कर्मचारी हैं।
- **शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:** महिला पीड़िता यौन उत्पीड़न की घटना के तीन से छह माह के अंदर लिखित शिकायत दर्ज कर सकती है।

▲ समिति दो प्रकार से मामले का समाधान कर सकती है — शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के बीच सुलह (जो वित्तीय समझौता नहीं हो सकता), या समिति जांच शुरू कर सकती है तथा उसके निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई कर सकती है।

- **वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट:** नियोक्ता को वर्ष के अंत में जिला अधिकारी को यौन उत्पीड़न की शिकायतों और की गई कार्रवाइयों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।
- **दंड:** यदि नियोक्ता ICC का गठन नहीं करता या अन्य प्रावधानों का पालन नहीं करता, तो ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो बार-बार उल्लंघन पर बढ़ सकता है।

राजनीतिक दलों में POSH अधिनियम के विस्तार के पक्ष में तर्क

- **संवैधानिक समानता का दायित्व:** राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं को POSH के अंतर्गत संरक्षण न देना अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 15 (भेदभाव निषेध), 19(1)(g) (पेशे का अधिकार), और 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) का उल्लंघन है।
 - ▲ विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) मामले में यह स्थापित किया गया कि यौन उत्पीड़न से सुरक्षा महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।
 - ▲ राजनीतिक दलों को बाहर रखना इस भावना को कमजोर करता है।
- **जवाबदेही की कमी को भरना:** 2,700 से अधिक पंजीकृत राजनीतिक दल बिना ICC के कार्य कर रहे हैं।
 - ▲ POSH का विस्तार इस संस्थागत शून्य को भर सकता है और एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित कर सकता है।
- **महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन:** यौन उत्पीड़न राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में एक प्रमुख बाधा है।
 - ▲ कानूनी संरक्षण एक सुरक्षित वातावरण बनाएगा, जिससे अधिक महिलाएँ चुनाव लड़ेंगी, नेतृत्व करेंगी और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगी।

राजनीतिक दलों में POSH अधिनियम के विस्तार के विरोध में तर्क

- **नियोक्ता-कर्मचारी संबंध की अनुपस्थिति:** राजनीतिक दल अनौपचारिक संरचना पर कार्य करते हैं और स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध की कमी POSH अधिनियम की लागू करने की प्रक्रिया को जटिल बनाती है।
- **विकेंद्रीकृत पार्टी संरचना:** राजनीतिक दलों की विविध और विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण केंद्रीकृत ICC का गठन एवं समान अनुपालन सुनिश्चित करना कठिन है।

आगे की राह

- **पार्टी-स्तरीय आचार संहिता:** राजनीतिक दलों को स्वेच्छा से लैंगिक संवेदनशीलता की नीतियाँ, आचार संहिता और सुरक्षित कार्यस्थल प्रोटोकॉल अपनाने चाहिए ताकि वे समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा सकें।
- **क्षेत्र-विशेष शिकायत तंत्र:** राजनीति, सिनेमा और मीडिया जैसे अनौपचारिक, स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक क्षेत्रों के लिए सरकार को स्वतंत्र तथा विश्वसनीय शिकायत निवारण बोर्ड स्थापित करने चाहिए जो नियोक्ता के नियंत्रण से बाहर हों।

निष्कर्ष

- राजनीतिक दलों में POSH अधिनियम का कार्यान्वयन केवल कानूनी आवश्यकता नहीं बल्कि नैतिक दायित्व भी है।
- राजनीतिक दलों को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए — लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और अपनी पंक्तियों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

Source: IT

CII द्वारा राष्ट्रीय वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति के लिए रूपरेखा का सुझाव

संदर्भ

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) के लिए एक प्रस्तावित राष्ट्रीय ढांचे का अनावरण किया है।


वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं?

- ग्लोबल इन-हाउस सेंटर्स या कैपिटव्स (GICs) या वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) मुख्य रूप से वैश्विक स्तर की कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित ऑफशोर केंद्र होते हैं जो अपनी मूल कंपनियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं।
- ये केंद्र वैश्विक कॉर्पोरेट संरचना के अंदर आंतरिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं और आईटी सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास (R&D), ग्राहक सहायता तथा अन्य व्यावसायिक कार्यों जैसे विशेष समाधान प्रदान करते हैं।
- विगत कुछ दशकों में GCCs लागत-बचत केंद्रों से विकसित होकर नवाचार को प्रोत्साहित करने और मूल्य सृजन में योगदान देने वाले रणनीतिक केंद्र बन गए हैं।

भारत में GCCs का परिदृश्य

- भारत पहले से ही 1,800 से अधिक GCCs की मेजबानी करता है, जो 2.16 मिलियन पेशेवरों को रोजगार देते हैं और लगभग \$68 बिलियन का प्रत्यक्ष सकल मूल्य वर्धन (GVA) प्रदान करते हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 1.8% है।
- CII के ढांचे के अनुसार, 2030 तक इन केंद्रों की संख्या 5,000 तक पहुँच सकती है, जिससे \$154–199 बिलियन का प्रत्यक्ष GVA उत्पन्न होगा।
- ▲ परोक्ष और प्रेरित प्रभावों को मिलाकर कुल प्रभाव \$470–600 बिलियन तक पहुँच सकता है।

GCCs in India as per cities



- **रोजगार की संभावनाएँ:** 2030 तक यह 20–25 मिलियन रोजगारों में परिवर्तित हो सकता है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंजीनियरिंग R&D, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों में 4–5 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाली प्रत्यक्ष नौकरियाँ शामिल होंगी।

भारत में GCCs की वृद्धि के कारक

- **वैश्विक क्षमता केंद्र प्रतिभा केंद्र:** भारत को वैश्विक स्तर पर आईटी, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स और वित्त जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली विविध प्रतिभा के लिए जाना जाता है।
 - ▲ कुशल कार्यबल की उपलब्धता ने GCCs को भारत में उच्च मूल्य एवं जटिल परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाया है।
- **वैश्विक क्षमता केंद्र तकनीकी नवाचार:** मशीन लर्निंग (ML), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों को तीव्रता से अपनाया गया है।
 - ▲ इससे भारत में GCCs को नवाचारी समाधान प्रदान करने और अपनी मूल कंपनियों को डिजिटल रूप से रूपांतरित करने में सहायता मिली है।
- **वैश्विक क्षमता केंद्र रणनीतिक दृष्टिकोण:** लागत-बचत केंद्र के रूप में पहचाने जाने से लेकर रणनीतिक केंद्र बनने तक, वर्षों में MNCs ने भारत में GCCs स्थापित करने की क्षमता को पहचाना है।
 - ▲ अब इन केंद्रों को व्यवसायों को विकास, संचालन दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिलाने वाली रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा जाता है।
- **वैश्विक क्षमता केंद्र सरकारी समर्थन:** भारतीय सरकार के विभिन्न सुधारों, जैसे डिजिटल इंडिया अभियान, ने भारत में GCCs की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में योगदान दिया है।

CII की सिफारिशें

- **निवेश सुविधा:** नीति विधायी रूप से समर्थित डिजिटल आर्थिक क्षेत्रों की सिफारिश करती है, जिनमें “प्लग-एंड-प्ले भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना, समन्वित विनियम और प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन” हों।
- **राष्ट्रीय पोर्टल:** यह एक राष्ट्रीय सिंगल विंडो पोर्टल की मांग करता है जो निर्बाध अनुमोदन प्रदान करे, जिसे एक तीन-स्तरीय शासन प्रणाली द्वारा समर्थित किया जाए, जिसमें एक राष्ट्रीय GCC परिषद हो।
- **विस्तार:** यह भारत के छह महानगरों से परे GCCs के विस्तार का सुझाव देता है।
 - ▲ कोयंबटूर, कोच्चि, इंदौर, जयपुर और भुवनेश्वर जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों को भविष्य के विकास केंद्रों के रूप में चिन्हित किया गया है, जो कम लागत, बढ़ती डिजिटल प्रतिभा एवं बेहतर प्रतिधारण दर प्रदान करते हैं।
- **रियायती कॉर्पोरेट कर:** सरकार को अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित GCCs को रियायती कॉर्पोरेट कर दें या कर अवकाश देने पर विचार करना चाहिए।
 - ▲ इसने स्थायी प्रतिष्ठान नियमों के समन्वय की भी मांग की है।
- **सेवाओं पर स्पष्टता:** सरकार को GCCs द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रकृति पर स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए, जिससे उन्हें ‘मध्यस्थ’ की श्रेणी से बाहर किया जा सके।
 - ▲ यह वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड और कर रिफंड आवेदन पर अधिकारियों द्वारा की जा रही विस्तृत जांच को तीव्र करने में सहायता करेगा।
 - ▲ इन GCCs की प्रतिभा आवश्यकताओं को समर्थन देने के लिए, सरकार की राष्ट्रीय नीति को क्षेत्र की मांगों के अनुरूप विशेषीकृत प्रतिभा विकसित करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

आगे की राह

- वैश्विक क्षमता केंद्र ने भारत में कॉर्पोरेशनों के लिए परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे भारत को केवल लागत-बचत माध्यम के रूप में देखने की सोच से हटकर नवाचार और रणनीतिक मूल्य के केंद्र के रूप में देखा जाने लगा है।
- भारत में GCCs ने देश की कुशल कार्यबल, तकनीकी लाभ और सहायक सरकारी नीतियों का उपयोग करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन एवं क्षेत्रीय विकास को सक्षम किया है।
- GCCs निरंतर नवाचार, सहयोग और प्रतिभा व अवसंरचना में निवेश के माध्यम से सतत विकास को आगे बढ़ा सकते हैं तथा भारत को \$5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में योगदान दे सकते हैं।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)

- **प्रकार:** गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-प्रेरित और उद्योग-प्रबंधित संगठन।
- **स्थापना:** 1895 (इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड्स एसोसिएशन के रूप में; 1992 में CII नाम अपनाया)।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **सदस्यता:** 9,000 से अधिक प्रत्यक्ष सदस्य (निजी और सार्वजनिक उद्यम, SME, MNCs) और 300,000 अप्रत्यक्ष सदस्य (क्षेत्रीय संघों के माध्यम से)।
- **कवरेज:** भारत में 62 कार्यालयों और विदेशों में 8 कार्यालयों के माध्यम से सभी आर्थिक क्षेत्रों को कवर करता है।
 - ▲ CII सरकारों और विचार नेताओं के साथ मिलकर कार्य करके उद्योग की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता एवं व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाता है।

Source: BS

भारत द्वारा पॉलीमेटालिक सल्फाइड (PMS) के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर

समाचार में

- भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) से प्रथम बार वैश्विक अन्वेषण अनुबंध प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत वह कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूलस का अन्वेषण करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- भारत ने जनवरी 2024 में हिंद महासागर के दो क्षेत्रों में अन्वेषण अधिकारों के लिए आवेदन किया था—कार्ल्सबर्ग रिज, जिसके लिए अब अनुमति मिल गई है, और अफानासी-निकितिन सागर (ANS) पर्वत, जिसकी स्वीकृति अभी लंबित है। ANS क्षेत्र पर श्रीलंका भी दावा करता है।
 - ▲ भारत को पहले ISA से मध्य हिंद महासागर बेसिन और हिंद महासागर रिज में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स के लिए अनुबंध प्राप्त हुए थे, जो क्रमशः 2027 और 2031 तक वैध हैं।

कार्ल्सबर्ग रिज

- यह एक 3,00,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो हिंद महासागर में स्थित है, विशेष रूप से अरब सागर और उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर में।
- यह भारतीय और अरबी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा बनाता है, जो रोड्रिग्स द्वीप के पास से ओवेन फ्रैक्चर जोन तक फैला हुआ है।

भारत के लिए महत्व

- भारत की रणनीतिक गहरे समुद्र खनन में भूमिका को बढ़ाता है और महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
- तांबा, जिंक, सोना और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे प्रमुख औद्योगिक धातुओं में भारत की संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।
- भारत के “डीप ओशन मिशन” और खनिज आत्मनिर्भरता की दिशा में संक्रमण को समर्थन देता है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA)

- यह एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 1982 के UNCLOS और 1994 के समझौते के अंतर्गत की गई थी। इसका कार्य गहरे समुद्र तल—जिसे “क्षेत्र” कहा जाता है—में खनिज संबंधित गतिविधियों को मानवता के हित में नियंत्रित करना है। ISA का मुख्यालय किंग्स्टन, जमैका में है। यह 1996 में कार्यशील हुआ और वर्तमान में इसमें 170 सदस्य (169 देश + यूरोपीय संघ) शामिल हैं।
- यह समुद्र तल खनन से पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करता है और क्षेत्र में संसाधनों के प्रबंधन की निगरानी करता है, जो विश्व के महासागर तल का 54% हिस्सा है और जिसे मानवता की साझा विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है।
 - ▲ उच्च समुद्रों—जो किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं—में खनिज संसाधनों का अन्वेषण करने के लिए देशों को ISA से अनुमति प्राप्त करनी होती है।
 - अब तक 19 देशों को ऐसे अन्वेषण अधिकार प्रदान किए जा चुके हैं।

Source :TH

बढ़ते निर्यात से भारत का व्यापार घाटा में कमी

संदर्भ

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, देश का व्यापार घाटा अगस्त 2024 के \$21.7 बिलियन की तुलना में 54% से अधिक घटकर \$9.9 बिलियन रह गया है, जिसका मुख्य कारण वस्तुओं के निर्यात में तीव्र वृद्धि है।

व्यापार घाटा क्या है?

- यदि कोई देश अन्य देशों से जितना आयात करता है, उससे कम निर्यात करता है, तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है।
- व्यापार घाटा घरेलू मुद्रा को कमजोर करता है।

सकारात्मक व्यापार प्रदर्शन के कारक

- निर्यात के लिए नीति समर्थन:** उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI), निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी योजना (RoDTEP), और पीएम गति शक्ति के अंतर्गत बेहतर लॉजिस्टिक्स अवसंरचना ने प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया है।
 - निर्यातकों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लचीलापन दिखाया, जैसे अगस्त में अमेरिका द्वारा लगाए गए 25-50% शुल्क।
- सेवाओं क्षेत्र में सुदृढ़ प्रदर्शन:** आईटी, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, फिनटेक और प्रोफेशनल सेवाएं वैश्विक मांग में प्रमुख बनी हुई हैं।
 - लगभग \$16.7 बिलियन का शुद्ध सेवा अधिशेष माल व्यापार घाटे की भरपाई के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बना, जिससे भारत के बाह्य क्षेत्र में सेवाओं की स्थिरता की भूमिका सुदृढ़ हुई।
- आयात में कमी:** कच्चे तेल और वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से आयात बिल कम हुआ।
 - इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की सरकारी पहलें धीरे-धीरे आयात पर निर्भरता को कम कर रही हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- बाह्य क्षेत्र की स्थिरता में सुधार:** व्यापार घाटे के आधे होने से भारत की चालू खाता स्थिति मजबूत होती है और विदेशी मुद्रा के अत्यधिक बहिर्गमन की चिंताओं को कम करती है।
- विदेशी मुद्रा भंडार और रुपये की स्थिरता को बढ़ावा:** व्यापार असंतुलन में कमी रुपये पर दबाव को कम करती है, विदेशी मुद्रा भंडार को समर्थन देती है और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाती है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** शुल्क और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का निर्यात बढ़ाना इसके उत्पादों एवं सेवाओं की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।
- आर्थिक विकास में योगदान:** सुदृढ़ निर्यात गति GDP वृद्धि, रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार को प्रोत्साहन देती है।

आगे की चुनौतियाँ

- वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताएँ:** धीमी वैश्विक वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और संरक्षणवादी उपाय निर्यात मांग को प्रभावित कर सकते हैं।
- कुछ बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता:** अमेरिका और यूरोपीय संघ भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा हैं, जिससे भारत भू-राजनीतिक एवं नीति जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
- सेवाओं के आयात में वृद्धि:** जबकि सेवाओं का निर्यात सुदृढ़ है, इस क्षेत्र में बढ़ते आयात धीरे-धीरे शुद्ध अधिशेष को कम कर सकते हैं।
- प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन की आवश्यकता:** भारतीय निर्यात अभी भी निम्न से मध्यम मूल्य संवर्धित क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिससे दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता सीमित होती है।

आगे की राह

- निर्यात बाजारों का विविधीकरण:** अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एवं दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और बहुपक्षीय समूहों के माध्यम से जुड़ाव को सुदृढ़ करें।

- **उच्च मूल्य वाले निर्यात को बढ़ावा:** इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित प्रौद्योगिकियों, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निर्यात को प्रोत्साहित करें।
- **सेवाओं के निर्यात को सुदृढ़ करना:** आईटी और प्रोफेशनल सेवाओं में नेतृत्व बनाए रखने के लिए कौशल विकास, डिजिटल अवसंरचना एवं नियामक सुधारों में निवेश करें।
- **आयात का रणनीतिक प्रबंधन:** अर्धचालक, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, स्वच्छ ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमता निर्माण को बढ़ावा दें ताकि कमजोरियों को कम किया जा सके।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बदलावों का लाभ उठाना:** बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनाई गई “चीन+1” रणनीति के परिप्रेक्ष्य में भारत को एक विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करें।

Source: TH

रक्षा खरीद नियमावली 2025

समाचार में

- रक्षा मंत्री ने रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 को स्वीकृति दे दी है।

रक्षा खरीद नियमावली 2025

- यह एक संशोधित दस्तावेज़ है जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए राजस्व खरीद को तीव्र करना, घरेलू उद्योग के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना और रक्षा विनिर्माण में नवाचार को समर्थन देना है।
- यह अंतिम बार 2009 में अद्यतन की गई थी और रक्षा मंत्रालय में सभी राजस्व खरीद के लिए सिद्धांतों एवं प्रावधानों को निर्धारित करती है।
- संशोधित नियमावली वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों एवं आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप है, और इस वर्ष लगभग ₹1 लाख करोड़ की खरीद को कवर करती है।
- यह स्वदेशीकरण और नवाचार पर एक नया अध्याय प्रस्तुत करती है, जो निजी कंपनियों, DPSUs और

IITs तथा IISc जैसे संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है।

- यह पाँच वर्षों तक के ऑर्डर गारंटी का आश्वासन देती है, फील्ड स्तर पर निर्णय लेने को बढ़ावा देती है, और आपूर्तिकर्ताओं को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करती है।

भारत में रक्षा स्वदेशीकरण की स्थिति

- भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक स्वदेशी रक्षा उत्पादन दर्ज किया, जो ₹1,27,434 करोड़ तक पहुँच गया—2014-15 के ₹46,429 करोड़ की तुलना में 174% की वृद्धि।
- यह वृद्धि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की नीतियों और ‘मेक इन इंडिया’ पहल द्वारा प्रेरित है, जो आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta) की दिशा में भारत के प्रयासों को दर्शाती है।
- भारत अब एक मजबूत, आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग का निर्माण कर रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों में योगदान दे रहा है।

रक्षा निर्यात में वृद्धि

- भारत का रक्षा विनिर्माण में वैश्विक विस्तार आत्मनिर्भरता और रणनीतिक नीति हस्तक्षेपों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 के ₹686 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹21,083 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है, जो विगत दशक में 30 गुना वृद्धि को दर्शाता है।

महत्व

- **रणनीतिक स्वायत्तता:** यह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ती है।
- **आर्थिक विकास:** घरेलू विनिर्माण, रोजगार सृजन और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देता है।
- **भू-राजनीतिक प्रभाव:** भारत की स्थिति को एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में सुदृढ़ करता है।

उठाए गए कदम

- **FDI नीति में उदारीकरण:** रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को सितंबर 2020 में उदार बनाया गया,

जिससे स्वचालित मार्ग से 74% तक और सरकारी मार्ग से 74% से अधिक निवेश की अनुमति दी गई।

- **रक्षा बजट में वृद्धि:** रक्षा बजट ₹2.53 लाख करोड़ (2013-14) से बढ़कर ₹6.81 लाख करोड़ (2025-26) हो गया है, जो भारत के सैन्य आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।
- **iDEX पहल:** अप्रैल 2018 में शुरू की गई रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) ने रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है।
- **'SAMARTHYA' कार्यक्रम:** एयरो इंडिया 2025 में आयोजित इस कार्यक्रम ने भारत की रक्षा स्वदेशीकरण और नवाचार में उपलब्धियों को प्रदर्शित किया।
- **SRIJAN पहल:** रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) द्वारा अगस्त 2020 में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई।

नवीनतम उपलब्धि

- **ऑपरेशन सिंदूर** भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही, जिसमें प्रथम बार ब्रह्मोस मिसाइलों और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों जैसे भारत में निर्मित हथियारों ने पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक एवं रक्षात्मक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चुनौतियाँ

- **प्रौद्योगिकी अंतराल:** सामग्री, इंजन और चिप तकनीकों में सीमित क्षमताएँ।
- **आयात पर निर्भरता:** कई प्लेटफॉर्म अभी भी स्थानीय असेंबली के बावजूद विदेशी घटकों पर निर्भर हैं।
 - ▲ विशेष रूप से अनुसंधान एवं विकास (R&D) में अपर्याप्त निवेश और राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता भी अन्य चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

निष्कर्ष

- भारत की रक्षा उत्पादन और निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति यह दर्शाती है कि वह एक आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धी सैन्य विनिर्माण केंद्र में बदल रहा है।

- ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत के रक्षा उद्योग की क्षमताओं को सिद्ध कर दिया है, जिससे स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को सुदृढ़ करने की नींव तैयार हुई है।
- इस गति को बनाए रखने के लिए भारत को रक्षा बजट में वृद्धि करनी चाहिए और निजी कंपनियों व स्टार्टअप्स को शामिल करके नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए।

Source :TH

संक्षिप्त समाचार

भारत-ईरान-उज्बेकिस्तान प्रथम त्रिपक्षीय बैठक

समाचार में

- भारत-ईरान-उज्बेकिस्तान की प्रथम त्रिपक्षीय बैठक तेहरान में आयोजित की गई, जिसमें उग्रवाद और आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग बढ़ाने तथा भारत के साथ व्यापार के लिए उज्बेकिस्तान द्वारा चाबहार बंदरगाह के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

परिचय

- बैठक में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के माध्यम से गहन संपर्क को भी प्राथमिकता दी गई।
- भारत-ईरान-अर्मेनिया ने भी एक त्रिपक्षीय बैठक की, जिसमें INSTC और चाबहार के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- कज़ाखस्तान और ताजिकिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के उपयोग में रुचि दिखाई है, जबकि भारत यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ एक प्रारंभिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को आगे बढ़ा रहा है ताकि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके तथा क्षेत्र से दुर्लभ पृथ्वी खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

क्या आप जानते हैं?

- चाबहार ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक व्यापक जलक्षेत्र वाला बंदरगाह है।

- यह भारत के सबसे निकट स्थित ईरानी बंदरगाह है और खुले समुद्र में स्थित होने के कारण बड़े मालवाहक जहाजों के लिए आसान एवं सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है।
- यह बंदरगाह प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का भी हिस्सा है।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)

- यह रूस, भारत और ईरान द्वारा शुरू की गई एक बहु-मोडल परिवहन परियोजना है, जो हिंद महासागर एवं फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ती है तथा फिर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए उत्तरी यूरोप तक जाती है।
- इस मार्ग में माल को मुंबई से बंदर अब्बास (ईरान) तक समुद्र मार्ग से भेजा जाता है, फिर सड़क मार्ग से बंदर-ए-अंजली तक ले जाया जाता है, उसके बाद कैस्पियन सागर पार कर रूस के अस्त्राखान तक जहाज द्वारा और अंत में रेल मार्ग से यूरोप तक पहुंचाया जाता है।
- इसका उद्देश्य पारगमन समय को कम करना और स्वेज नहर मार्ग की तुलना में माल भाड़ा लागत को घटाना है।

Source :ET

‘आधार कानून का भाग है, मतदाता इसका प्रयोग कर सकते हैं’: सर्वोच्च न्यायालय

समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आधार मत देने के अधिकार से संबंधित कानून के अंतर्गत मतदाता सत्यापन के लिए कानूनी रूप से वैध है और इसे बिहार की मतदाता सूची की चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

आधार क्या है

- आधार एक 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है जो भारत के निवासियों के लिए पहचान और पते का प्रमाण प्रदान करती है।

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

- संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग (EC) को मतदाता सूची तैयार करने की निगरानी का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 326 नागरिकों को 18 वर्ष की आयु के बाद मतदान का अधिकार प्रदान करता है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत, गैर-नागरिकों को अयोग्य घोषित किया गया है (धारा 16), और मतदाता को 18 वर्ष का होना चाहिए तथा किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करना चाहिए (धारा 19-20)।
- शहरीकरण और प्रवास के कारण दोहराए गए नामों की चिंताओं के चलते चुनाव आयोग ने अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू किया है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिकों को सूचीबद्ध किया जाए।
- यह राष्ट्रव्यापी SIR बिहार से शुरू हो रहा है, जहाँ पिछली बार ऐसा पुनरीक्षण 2003 में हुआ था।

सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) चुनाव आयोग के अधिकारियों को मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के लिए आधार का उपयोग करने की अनुमति देती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह आधार को पहचान सत्यापन के लिए 12वें “संकेतक” दस्तावेज के रूप में शामिल करे।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार वैधानिक मतदाता सत्यापन ढांचे का हिस्सा है।

Source :TH

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया और मखाना क्षेत्र के लिए लगभग ₹475 करोड़ के विकास पैकेज को मंजूरी दी।

मखाना क्या है?

- मखाना (*Euryale ferox*), जिसे फॉक्स नट के नाम से भी जाना जाता है, एक जलीय फसल है जो स्थिर तालाबों और आर्द्रभूमियों में उगाई जाती है।
- यह पौधा दक्षिण और पूर्वी एशिया के स्वच्छ जल के तालाबों में पाया जाता है।
- मखाना पौधे का खाद्य भाग छोटे, गोल बीज होते हैं जिनकी बाहरी परत काले से भूरे रंग की होती है।
 - ▲ इसी कारण इसे 'ब्लैक डायमंड' भी कहा जाता है।
- **जलवायु परिस्थितियाँ:** मखाना की बेहतर वृद्धि और विकास के लिए 20–35°C तापमान, 50–90% सापेक्ष आर्द्रता, और 100–250 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।
- **भारत में उत्पादन:** भारत में मखाना का लगभग 90% उत्पादन बिहार में होता है, विशेष रूप से मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों में।
 - ▲ थोड़ी मात्रा में इसका उत्पादन असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा राज्यों में भी होता है, साथ ही नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान एवं कोरिया जैसे पड़ोसी देशों में भी इसकी खेती की जाती है।
- **मिथिला मखाना को GI टैग:** वर्ष 2022 में 'मिथिला मखाना' को भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) टैग प्रदान किया गया।

Source: PIB

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

संदर्भ

- विगत तीन वर्षों में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 84 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) जारी किए हैं, जो 343 उत्पादों को कवर करते हैं।
 - ▲ यह अब तक अधिसूचित 187 QCOs में से लगभग 45 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) क्या हैं?

- QCOs भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जारी किए गए कानूनी दस्तावेज़ हैं।

- ये घरेलू और आयातित दोनों प्रकार के उत्पादों के लिए निर्दिष्ट भारतीय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य बनाते हैं।
- QCOs के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को BIS प्रमाणन के बिना भारतीय बाजार में बेचा नहीं जा सकता, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं एवं घटिया आयात से संरक्षण सुनिश्चित होता है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

- भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है।
- यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो 12 अक्टूबर 2017 से प्रभावी हुआ।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **कार्य:**
 - ▲ विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय मानकों (IS) का निर्माण
 - ▲ उत्पाद प्रमाणन योजनाएँ — स्वैच्छिक और अनिवार्य दोनों
 - ▲ गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) जारी करना — कुछ उत्पादों के लिए भारतीय मानकों का पालन अनिवार्य बनाना
- BIS द्वारा संचालित योजनाएँ:
 - ▲ उत्पाद प्रमाणन (ISI मार्क)
 - ▲ प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन
 - ▲ सोने और चांदी के आभूषण/कलाकृतियों की हॉलमार्किंग
 - ▲ उद्योग के लाभ के लिए प्रयोगशाला सेवाएँ, जो अंततः उपभोक्ता संरक्षण का लक्ष्य रखती हैं

Source: IE

पॉलीप्रोपाइलीन

संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने असम के गोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) में एक पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला रखी।

परिचय

- पॉलीप्रोपाइलीन (PP) एक थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर है, जो पॉलीओलेफिन परिवार से संबंधित है।
- यह विश्व में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक में से एक है क्योंकि यह हल्का, टिकाऊ और बहुपयोगी होता है।
- **उपयोग:** पॉलीप्रोपाइलीन का उपयोग कालीन, रस्सियाँ, बैग, रेशो, मास्क, मेडिकल किट एवं वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है।
 - ▲ यह ऑटोमोबाइल क्षेत्र के साथ-साथ चिकित्सा और कृषि उपकरणों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **असम की पहचान:** असम अपनी पारंपरिक गमछा और प्रसिद्ध एरी एवं मूगा रेशम के लिए जाना जाता है।
 - ▲ अब राज्य की पहचान में पॉलीप्रोपाइलीन से बने वस्त्र भी शामिल होंगे।

Source: AIR

उन्नत निष्क्रिय कीट तकनीक (उन्नत-SIT)

संदर्भ

- उत्तरी ग्रीस के नाओसा में वैज्ञानिक आक्रामक फल मक्खी प्रजातियों को नियंत्रित करने के लिए एक उन्नत निष्क्रिय कीट तकनीक (Enhanced-SIT) का परीक्षण कर रहे हैं, जो विशेष रूप से आड़ू की फसलों को खतरे में डाल रही हैं।

परिचय

- **परियोजना:** REACT (EU द्वारा वित्तपोषित, €6.65 मिलियन, 4 वर्ष, 12 देश शामिल जैसे UK, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका)
- **लक्ष्य कीट:** मेडिटरेनियन फ्रूट फ्लाई (Ceratitis capitata) – स्थानीय प्रमुख कीट
 - ▲ ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई (Bactrocera dorsalis) और पीच फ्रूट फ्लाई (Bactrocera zonata) – एशिया से आई आक्रामक प्रजातियाँ, जो वैश्विक स्तर पर अत्यधिक विनाशकारी हैं

- **विधि:** निष्क्रिय नर मक्खियाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पैट्रास में तैयार की जाती हैं।
 - ▲ इन्हें बैक्टीरिया आधारित पूरक आहार दिया जाता है जिससे ये अधिक सहनशील, दीर्घायु और प्रजनन में प्रतिस्पर्धी बनती हैं।
 - ▲ इनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं होती, जिससे धीरे-धीरे कीट जनसंख्या समाप्त हो जाती है।

महत्व

- ▲ कीटनाशक-मुक्त, पर्यावरण-अनुकूल, जैविक खेती के अनुकूल यूरोप में प्रथम बार छोटे स्तर पर उन्नत निष्क्रिय कीट रिलीज का क्षेत्रीय परीक्षण प्रारंभिक निष्कर्षों में कीट जनसंख्या में उल्लेखनीय कमी देखी गई जलवायु से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों के बीच यह भूमध्यसागरीय और यूरोपीय कीट नियंत्रण के लिए एक मॉडल बन सकता है

Source: TH

भारतीय नौसेना का 'एंड्रॉथ'

संदर्भ

- भारतीय नौसेना को 'एंड्रॉथ' नामक स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) प्राप्त हुआ है।

ASW-SWC के बारे में

- एंड्रॉथ द्वीप (लक्षद्वीप द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप) के नाम पर इस युद्धपोत का नाम रखा गया है।
- यह आठ ASW-SWC में से दूसरा है, जिसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा निर्मित किया जा रहा है।
- यह पोत भारतीय शिपिंग रजिस्टर (IRS) के वर्गीकरण नियमों के अनुरूप निर्मित किया गया है।
- इस परियोजना में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को साकार करता है।

Source: TH

सर एम विश्वेश्वरैया

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसे पूरे देश में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

परिचय

- 15 सितंबर 1861 को जन्मे विश्वेश्वरैया को भारत के महानतम अभियंताओं में से एक माना जाता है, जिनके अग्रणी कार्यों ने बुनियादी ढांचे के विकास में क्रांति ला दी।
- उन्होंने मैसूर राज्य के दीवान और ऑल इंडिया मैनुफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा दी।
- उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

सर एम. विश्वेश्वरैया के योगदान

- नवाचारी बाढ़ प्रबंधन प्रणाली: 1908 में मूसी नदी में आई बाढ़ के बाद, सर विश्वेश्वरैया ने उस्मान सागर और

हिमायत सागर जैसे जलाशयों का डिज़ाइन किया तथा व्यवस्थित बाढ़ नियंत्रण समाधान प्रस्तावित किए।

- **अग्रणी बांध निर्माण और सिंचाई प्रणाली:** मैसूर के मुख्य अभियंता के रूप में, उन्होंने 1932 में कृष्ण राजा सागर (KRS) बांध का निर्माण किया, जिससे एशिया का सबसे बड़ा जलाशय बना।
 - ▲ उनके स्वचालित स्लूइस गेट्स ने कई बांधों में जल नियंत्रण को बेहतर बनाया।
- **साहित्यिक कृतियाँ:**
 - ▲ भारत का पुनर्निर्माण (1920)
 - ▲ भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था (1936)
 - ▲ भारत में बेरोजगारी: इसके कारण और समाधान (1932)
- **आत्मकथा:** मेरे कार्य जीवन के संस्मरण (1951)

Source: PIB

